

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी, उ०प्र०।

आज़मगढ़, कन्नौज, बरेली, चित्रकूट तथा मीरजापुर।

संख्या-1/319 / 2018-1/15/2018 : लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-28/2018/970/33-3-2018-100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **रु० 15,83,800/- (रु० पन्द्रह लाख तिरासी हजार आठ सौ मात्र)** धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी०-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
5. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी०-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।
12. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

13. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
14. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
15. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
16. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
17. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य -लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
18. आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।
19. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. वर्ष 2018-19 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-122 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/ 319 /1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, बरेली, चित्रकूट तथा मीरजापुर।
- ✓ 7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/11/2018

प्रेषण संख्या:- 1-319-2018-1-15-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 010-1-15-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 6550581	0 447122	0 460787	0 20000	475190 475190	475190 7953680
2	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	317009 2078441	19117 142417	0 72219	0 20000	0 146200	336126 2459277
3	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 4448507	0 373285	0 1321616	70000 140000	0 249025	70000 6532433
4	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1175367	0 118060	0 34229	0 20000	255000 255000	255000 1602656
5	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	310896 1864775	117695 226467	18893 82602	0 20000	0 178200	447484 2372044
	योग	वर्तमान प्रगामी	627905 16117671	136812 1307351	18893 1971453	70000 220000	730190 1303615	1583800 20920090

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह लाख तिरासी हजार आठ सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ नौ लाख बीस हजार नब्बे


(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी